

पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलेक्टर
टिब्बी, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

शानीया खान पुत्री मोहम्मद तुफैल } जाति मुसलमान निवासी सूरेवाला तहसील
रुकसाना झोरड़ पत्नी जुल्फकार } टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

वादीगण

बनाम्

1. मोहम्मद तुफैल } पुत्रगण अलीशेर
2. जुल्फकार }
3. नजीरा बेगम पत्नी अलीशेर } निवासीयान सूरेवाला तहसील टिब्बी
4. आशियां बेगम } पुत्रीयाँ अलीशेर } जिला हनुमानगढ़।
5. बोम्बी बेगम }

प्रतिवादीगण

मि. नं. 355/25 डिक्री

दिनांक 11/9/25

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री सुभाषगर्ग व प्रतिवादी वकील करनैलसिंह अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है क. वादीया सं० 1 शानीया खान को प्राप्त आराजी- चक नं० 15 सीडीआर के खाता सं० 59 के प०न० 205/265 मु० 1 किलानं० 14/2/.076, 17/2/.076, प०न० 205/266 मु० 8 किलानं० 7/.253, प०न० 205/267 मु० 9 किलानं० 24/2/.101, 25/1/.228, 25/2/.025 है० गै०मु० खाला, प०न० 206/267 मु० 10 किलानं० 11,12,13, 14,15/1/.228, 15/2.025 है० रास्ता, 16 /1/.228, 16/2/.025 है० रास्ता, 17 ता 24, 25/1/.228, 25/2/.025 है० रास्ता,

चकनं० 15 सीडीआर के खाता सं० 58 के प०न० 206/268 मु० 15 किलानं० 1/1/.228, 1/2/.025 है० रास्ता, 2/1/.228, 2/2/025 है० रास्ता, 3/1/.228, 3/2/.025 है० रास्ता, 4/1/.228, 4/2/.025 है० रास्ता, 5/1/.202, 5/2/.051 है० रास्ता, 6/1/.228, 6/2/.025 है० रास्ता, 7 ता 11, 14, 15/1/.228, 15/2/.025 है० रास्ता, 16/1/.228, 16/2/.025 है० रास्ता कुल 3.542 है०


ख. वादीया सं० 2 रुकसाना को प्राप्त आराजी- चक नं० 15 सीडीआर के खाता सं० 57/60 में आशिया बेगम, बोम्बी बेगम प्रत्येक का 10/37 हिस्सा मे से 3.795 है०
ग. प्रतिवादीसं० 1 मोहम्मद तुफैल को प्राप्त आराजी - चक नं० 15 सीडीआर के खाता सं० 58/61 मे से आशिया बेगम व बोम्बी बेगम के हिस्सा मे से 1.518 है०



अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
टिब्बी

घ. प्रतिवादीसं० 3 नजीरा बेगम को प्राप्त आराजी - चकनं० 15 सीडीआर के खाता सं० 59 के प०न० 207/266 मु० 6 किलानं० 17,24, व चक नं० 15 सीडीआर के खाता सं० 57/60 में आशिया बेगम व बोम्बी बेगम प्रत्येक का 10/37 हिस्सा मे से 1.265 है० का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर चकनं० 15 सीडीआर के खाता सं० 75/83 में वादीया सं० 2 का नाम रूखसानाबेगम पत्नी जुल्फकार अली को दुरुस्त कर वादीया सं० 2 का नाम रूकसाना झोरड पत्नी जुल्फकार दर्ज किया जावे व चकनं० 15 सीडीआर के खाता सं० 59 में से आशियां बेगम व बोम्बी बेगम का नाम कलमजन, इसी चक के खाता सं० 57/60 में से आशियां बेगम व बोम्बी बेगम का नाम कलमजन, इसी. चक के खाता सं० 58/61 में से आशियां बेगम व बोम्बी बेगम का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है तहसीलदार राजस्व टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद एंव जमाबंदी में गै०मु० रकबे को यथावत रखते हुए यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 11/9/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।




उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) (R.A.S.)
पदेन सहायक कलक्टर (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर टिब्बी।